न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 54/2016

उनवान

निरन्जन प्रसाद आदि बनाम प्रभूदयाल वगैरह

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति :–

1. श्री रामगोपाल कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण
2. श्री रविशंकर अग्रवाल, अभिभाषक अप्रार्थीगण/वादीगण

आदेश दिनांक 20.01.2020

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण प्रभूदयाल वगैरह की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत जरिये अधिवक्ता दिनांक 03.04.2017 को न्यायालय हाजा में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित आराजी मुतनाजा पर वादीगण का किसी प्रकार का कोई काश्त नहीं रहा है, क्योंकि उनके द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त मानकर बेदखली का वाद प्रस्तुत किया है। उक्त आराजी मुतनाजा के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हैं तथा काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इस वजह से वादीगण का कोई भी प्रश्न इन पजेशन के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी भी नही है। प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण चलने योग्य नहीं है। खारिज फरमाया जावे।

2. अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जिमन नम्बर एक में वर्णित तथ्यों को आंशिक रूप से स्वीकार कर शेष समस्त तथ्यों को गलत होना बताकर अस्वीकार करते हुए अभिकथन किया कि हस्तगत वादपत्र पेश होने के पश्चात् बाद जांच एवं अहलमद की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद प्रकरण में श्रवणाधिकार होना मानते हुए प्रतिवादीगण की तामील जारी की जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने के बाद विवाद्यक कायम कर साक्ष्य वादीगण नियत की गई है। इसलिए प्रश्नगत प्रकरण का आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 के तहत तकनीकी दृष्टि से कानूनन निस्तारण नहीं किया जा सकता। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार दोनों पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध की जाकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण को निस्तारित किया जाना विधि सिद्धान्तों के अनुसार है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

3. जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस समाहत की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने की इस्तदुआ की। इसका खण्डन करते हुए विज्ञ अभिभाषक अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस मे अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बेबुनियाद एवं आधारहीन होना बताकर निरस्त किये जाने की पुरजोर दलील दी। जिसके समर्थन में वकील अप्रार्थी/वादीगण ने निम्न नजीरे पेश की –

(1.) 2018 RBJ 78, (2.) 2018 RBJ 376, (3.) 2018 RBJ 449,
(4.) 2011 (3) DNJ Raj 1066, (5) 2009 (1) R L W Raj 170 (SC)

4. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा सम्बन्धित विधि के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक व गहनता से अध्ययन विवेचन विश्लेषण किया।

5. विज्ञ अभिभाषक अप्रार्थीगण/वादीगण के अभिवचनों एवं पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि हस्तगत वाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 4 की ओर से दिनांक 11.11.2009 को जवाब पेश होने पर दिनांक 04.08.2016 को विवाद्यक बिन्दू कायम कर पत्रावली वास्ते पेश करने दस्तावेजात व साक्ष्य वादीगण नियत की गई। परन्तु वादीगण को बार बार अनेकों अवसर प्रदान के पश्चात् प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 03.04.2017 को उक्त प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत करने के बाद अप्रार्थी/वादी सं0 1 PW–1 के बयानों का शपथ पत्र व रिकार्ड दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

यह सही है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 के तहत जवाब दावा पेश करने से पूर्व वादपत्र खारिज किया जा सकता है तथा केवल खातेदार कृषक ही धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। हस्तगत वाद में जवाब दावा प्रस्तुत होने तथा विवाद्यक बिन्दू विचरित होने के पश्चात् प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त आदेश–7 नियम–11 व सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर वाद विधि से वर्जित होना व प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न नहीं होना बताकर वादपत्र खारिज किये जाने की इस्तदुआ की तथा अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से अपनी साक्ष्य में बयानों के शपथ पत्र PW–1 व रिकार्ड शाहदत भी पेश हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाब दावा व प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्ति के संबंध में विचरित लीगल तनकी व प्रार्थना पत्र का एक साथ गुणावगुण (मेरिट) के आधार पर निस्तारण किया जाना हम उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

7. आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 के स्पष्ट प्रावधान है कि वादपत्र के पढ़ने मात्र से ही यह परिलक्षित होना चाहिए की वाद किस विधि से वर्जित है अथवा कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया है। हस्तगत वाद में वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कारण पैदा नहीं होने के संबंध में तनकी संख्या 8 कायम की गई है। उक्त लीगल तनकी का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु तथ्यों का विवेचन करने पर पाया गया कि वादीगण द्वारा वादपत्र के जिमन नं. 14 में वादीगण को उनके हिस्से की उपज का हिस्सा अदा नहीं करने, निर्माण कार्य करने व रिकार्ड दुरूस्त कराने से मना करने व अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान आदि करने की धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न होने के उल्लेख किया है, परन्तु अपने उक्त अभिकथनों के संबंध में कोई दस्तावेजी रिकार्ड शाहदत पेश नहीं की गई है। अप्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा आराजी मुतनाजा पर कभी अपने भौतिक रूप से काबिज काश्त होने तथ्यों को भी किसी दस्तावेजी रिकार्ड शाहदत से प्रमाणित नहीं करवाया है। अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल राजस्व अभिलेख आधार जमाबन्दी सम्वत् 2008–2027 की पृविष्टियों से अप्रार्थीगण/वादीगण के पूर्वजों के नाम आराजी मुतनाजा की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना अवश्य प्रमाणित होती है, लेकिन इसके पश्चात् बाई आपरेशन ऑफ लॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पश्चात् उनके नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होने के संबंध में कोई रिकार्ड दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये है। अप्रार्थीगण/वादीगण व उनके योग्य अधिवक्ता का कहना था कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने बिना किसी अधिकार के गुपचुप व बाला–बाला भू–प्रबन्ध कर्मचारियों व राजस्व कार्मिकों से साज करके आराजी मुतनाजा की खातेदारी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाली, जबकि उनके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात् सम्वत् 2012 में एवं इसके पश्चात् उनके नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होने का कोई रिकार्ड दस्तावेज पेश नहीं किया। पत्रावली पर उपलब्ध साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 203 की पृविष्टियों से आराजी मुतनाजा के साबिक खसरा नम्बरान की खातेदारी प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के पूर्वज मोहन पुत्र भगता जाति माली सा0देह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रमाणित है तथा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार बरामद हुए हाल आराजी खसरा नम्बरान की खातेदारी भी पूर्व रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों के नाम अंकित होना प्रकट होती है।

8. प्रथमतः तो अप्रार्थीगण/वादीगण आराजी मुतनाजा के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के पश्चात् यानि सम्वत् 2012 के बाद आराजी मुतनाजा के अभिलिखित खातेदार काश्तकार होना एवं भौतिक रूप से काबिज काश्त होना प्रमाणित नहीं होते है तथा ना ही भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान साबिक रिकार्ड की पृविष्टियों के हाल राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राजात किया जाना प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में जब अप्रार्थीगण/वादीगण ना तो आराजी मुतनाजा पर भौतिक रूप से काबिज काश्त है एवं ना ही अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तो वे धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसरण में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं भौतिक रूप से काबिज काश्त प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के मुश्तहक नहीं है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण पैदा होना प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण/वादीगण उक्त लीगल तनकी को सिद्ध करवाने में क्षीण मात्र भी सफल नहीं रहे है। अतः यह लीगल तनकी बखिलाफ अप्रार्थीगण/वादीगण निर्णित की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

द्वितीयतः अप्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदारी में से उनका नाम हज्फ कर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने की घोषणा चाही है। यह सही है कि आराजी मुतनाजा की खातेदारी आधार जमाबन्दी सम्वत् 2008–2027 में वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी, लेकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के पश्चात् यानि सम्वत् 2012 के पश्चात् साबिक व हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी मुतनाजा की खातेदारी अप्रार्थीगण/वादीगण के बजाये प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना तथा उन्हीं का भौतिक रूप से कब्जा काश्त होना उभयपक्षों के अभिवचनों व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात से प्रमाणित है। इस संबंध में हमारा यह सुविचारित मत है कि राजस्व अभिलेख के अंकन स्वतः उत्पन्न स्थिति नहीं होते है और राजस्व अंकनों के आधार में कोई न कोई आदेश होता है। जब तक उक्त आदेश को निरस्त नहीं करवाया जावे तब तक राजस्व अंकनों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह कानून का भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक मूल आदेश का चुनौती नहीं दी जाती है, सन्दर्भ को स्वीकार करने से कोई उपादेय परिणाम प्राप्त नहीं होगा। प्रश्नगत वाद में भी अप्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा कहीं भी यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं करवाया गया है कि आराजी मुतनाजा की खातेदारी प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के पूर्वज मोहनलाल के नाम राजस्व अभिलेख में किस आदेश एवं नामान्तरकरण के माध्यम से दर्ज हुई, जब तक उक्त आदेश एवं नामान्तरकरण को निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक आराजी मुतनाजा की खातेदारी में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का नाम हज्फ करके उनके स्थान पर अप्रार्थीगण/वादीगण के नाम खातेदारी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का हम कोई युक्तियुक्त कारण नहीं पाते है। इस प्रकार अप्रार्थीगण/वादीगण का वादपत्र पढ़ने मात्र से ही विधि से वर्जित होना प्रकट होता है।

10. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार कर अप्रार्थीगण/वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान